प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.08.2026

फीडबैक सेल, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा नागरिक सेवाओं के संबंध में प्राप्त फीडबैक का विस्तृत विवरण

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जन आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए जन सामान्य को प्रदान की जाने वाली पुलिस सेवाएँ को सुगम एवं पारदर्शी बनाने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलेरेन्स की रणनीति बनाते हुए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

जन सामान्य को **सिटिजन चार्टर** के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली पुलिस सेवाओं को सुगम एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से **फीडबैक सेल** का गठन करते हुए **पासपोर्ट सत्यापन,चरित्र सत्यापन, जनशिकायत तथा** पीड़ितों द्वारा दर्ज करायी जाने वाली **प्रथम सूचना रिपोर्ट** के दौरान पुलिस के आचरण एवं पारदर्शिता के सम्बन्ध में आवेदकों से फीडबैक लिया जाता है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद की फीडबैक सेल द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जनसंतुष्टि का सतत् आकलन किया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न पुलिस सेवाओं से संबंधित फीडबैक प्राप्त कर उसका संख्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

दिनांक 01 जनवरी 2026 से 31 जुलाई 2026 तक फीडबैक सेल द्वारा विभिन्न सेवाओं के संबंध में कुल **86,746 फीडबैक** प्राप्त किए गए। इनमें से केवल **34 फीडबैक नकारात्मक** पाए गए। इस प्रकार प्राप्त कुल फीडबैक की तुलना में नकारात्मक फीडबैक लगभग **0.039 प्रतिशत** रहा, जो नागरिकों की पुलिस सेवाओं के प्रति उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है।

1 जनवरी 2026 से 31 जुलाई 2026 तक प्राप्त फीडबैक का विवरण

माह	कुल लिए गए फीडबैक की संख्या	नकारात्मक फीडबैक
जनवरी	11746	2
फरवरी	11656	5
मार्च	11751	1
अप्रैल	12305	7
मई	12839	4
जून	12845	6
जुलाई	13604	9
कुल	**86746**	**34**

विभिन्न पुलिस सेवाओं से संबंधित स्थिति

इसके अतिरिक्त, **दिनांक 18 मई 2025 से 31 जुलाई 2026** तक की अवधि के लिए उपलब्ध समेकित विवरण के अनुसार फीडबैक सेल द्वारा निम्न सेवाओं के संबंध में कुल **1,56,468 फीडबैक** लिए गए, जिनमें **81 नकारात्मक फीडबैक** प्राप्त हुए। इस प्रकार प्राप्त कुल फीडबैक की तुलना में नकारात्मक फीडबैक लगभग **0.051 प्रतिशत** रहा, जो नागरिकों की पुलिस सेवाओं के प्रति उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है।

क्र0 सं0	विषय	कुल लिए गए फीडबैक की संख्या	नकारात्मक फीडबैक की संख्या
1	**एफ0आई0आर0 पंजीकरण**	15625	8
2	**चरित्र सत्यापन**	15600	6
3	**जनशिकायत**	17111	44
4	**पासपोर्ट सत्यापन**	108132	23
कुल		**156468**	**81**

प्राप्त नकारात्मक फीडबैक का संज्ञान लेते हुए प्रत्येक शिकायत/फीडबैक का संबंधित स्तर पर गंभीरतापूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन कराया गया। जाँच के दौरान जिन प्रकरणों में पुलिसकर्मियों की लापरवाही, उदासीनता अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता पाई गई, उनमें संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध **लाइन हाजिर एवं निलम्बन आदि दण्डात्मक** कार्रवाई की गई है।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा **जन-आधारित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग** की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव नागरिकों के फीडबैक में परिलक्षित हो रहा है। पुलिस सेवाओं के प्रति नागरिकों का उच्च संतुष्टि स्तर पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने में सहायक है।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा भविष्य में भी पुलिस सेवाओं को अधिक **सरल, त्वरित, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी** बनाने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध **जीरो टॉलेरेन्स** की नीति के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निरंतर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा खंडन समाचार पत्र में प्रकाशित भ्रामक खबर का खंडन

कृपया अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.08.2026 को समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर के गाजियाबाद संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक **"छेडछाड से परेशान होकर स्कूल छोडा"** के संबंध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री मनवीर निवासी मास्टर कालोनी थाना क्षेत्र नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा अपनी पुत्री के साथ पडोसी पक्ष द्वारा लगातार छेड़खानी किये जाने जिस कारण से शिकायतकर्ता की पुत्री द्वारा स्कूल छोडे जाने एवं प्रताडित होने का गंभीर आरोप लगाते हुए अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.2026 को उच्चाधिकारीगण पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में उपरोक्त समाचार पत्रों में खबर को सत्यता एवं घटना की पुष्टि किये बिना समाचार पत्र उपरोक्त में प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता पक्ष का अपने पडौसीजन विपक्षी पक्ष के साथ काफी लम्बे समय से विवाद चलता आ रहा है , जिस विवाद के चलते शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा अपने उपरोक्त विपक्षी पक्ष के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वर्ष 2025 में पृथक-पृथक कुल 04 अभियोग पंजीकृत कराये हुए है तथा विपक्षी पक्ष द्वारा भी शिकायतकर्ता पक्ष श्री मनवीर सिंह आदि पर एससी-एसटी एक्ट में एक अभियोग थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत कराया हुआ है। दोनो ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अपने शिकायती प्रार्थना पत्र हर स्तर पर प्रेषित करते रहते है। इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता पक्ष श्री मनवीर सिंह पूर्व में अपने परिवार सहित थाना विजयनगर क्षेत्र में निवास करते थे जहाँ पर श्री मनवीर सिंह द्वारा थाना विजय नगर पर भी पडोसीजनों पर कुल 02 अभियोग भिन्न भिन्न दिनांकों में भी पंजीकृत कराये हुए है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में पीडिता अपनी पुत्री के द्वारा स्कूल छोडे जाने का कथन भी अंकित कराया हुआ है जबकि सत्य यह है कि शिकायतकर्ता पक्ष श्री मनवीर सिंह की पुत्री गाजियाबाद के स्थानीय स्कूल में कक्षा 11 में अध्ययनरत है।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 362 पुड़िया अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 18.08.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1. नवेद पुत्र मौ0 इसरायल निवासी कल्लन चौक अक्सा मस्जिद के पास जाफराबाद पूर्वोत्तर दिल्ली 2. सुऐब पुत्र असलम निवासी ढोलक वाली मस्जिद के पास पिपलैडा, थाना धौलाना जनपद हापुड को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 362 पुड़िया अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना मसूरी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्तगणों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों दिल्ली से चोरी-छिपे प्लास्टिक के कट्टे में गांजा की पुड़िया लाकर आसपास के क्षेत्रों में राह चलते लोगों को अधिक दामों पर बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम/पता

1.नवेद पुत्र मौ0 इसरायल निवासी कल्लन चौक अक्सा मस्जिद के पास जाफराबाद, पूर्वोत्तर दिल्ली, उम्र करीब 36 वर्ष।

2.सुऐब पुत्र असलम निवासी ढोलक वाली मस्जिद के पास पिपलैडा, थाना धौलाना जनपद हापुड, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 362 पुड़िया अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी का सरिया बरामद।

दिनांक 17.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा NCC भवन, मण्डौला विहार, थाना ट्रोनिका सिटी में सरिया की चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. सलमान पुत्र अल्लाह मेहर निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष 2. नाजिम पुत्र अल्लाह मेहर निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी का सरिया वजन 1.5 कुन्तल बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 305(A), 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों ने NCC भवन, मण्डौला विहार से सरिया चोरी किया था और चोरी किये सरिया को ले जाने वाले थे तभी हम पकड़े गये।

हिरासत में लिये अभियुक्तों के नाम/पता-

1. सलमान पुत्र अल्लाह मेहर निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।
2. नाजिम पुत्र अल्लाह मेहर निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी किया गया सरिया वजन (1.5 कुन्तल) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त नाजिम के विरूद्ध पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 02 अभियोग, चोरी का समान बरामद होने का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.08.2026 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. तरूण उर्फ सोनू 2. वरूण उर्फ जग्गी पुत्रगण ओमवीर सिंह 3. मनीष उर्फ गोलू 4. गौरव उर्फ पेप्सी पुत्रगण बिसम्बर समस्त निवासीगण कस्बा पतला थाना निवाडी गाजियाबाद व कुछ अन्य अज्ञात द्वारा वादी व वादी के पिता के साथ पार्क में डॉग को टहलाने को लेकर ईर्ष्या के कारण एकराय होकर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से अचानक हमला करना व गाली देना। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना निवाडी पर धारा 109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.08.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. तरूण उर्फ सोनू 2. वरूण उर्फ जग्गी पुत्रगण ओमवीर सिंह को ग्राम पतला बम्बा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारे गांव के अनुज पुत्र राजवीर से पार्क में डॉग को टहलाने को लेकर विवाद हुआ था जिस पर ग्राम में पंचायत हुई थी। हमने पंचायत से वापिस आते समय अनुज व उसके पिता के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. तरूण उर्फ सोनू पुत्र ओमवीर निवासी पतला थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष
2. वरूण उर्फ जग्गी पुत्र ओमवीर निवासी पतला थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.06.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्त दयानंद शर्मा पुत्र हरीदास शर्मा निवासी रामेश्वर पार्क थाना अंकुर विहार गाजियाबाद के द्वारा रामेश्वर पार्क स्थित प्लाट नम्बर D-254 और D-255 के धोखाधडी करके फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर कब्जा कर लेना व प्लाट का गेट तोड देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धारा-318(4) /338 /336(3) /340(2) /324(4) /329(3) /329(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 18.08.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दयानंद शर्मा पुत्र हरीदास शर्मा निवासी रामेश्वर पार्क थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 68 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने वादी के दादा जी की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से रामेश्वर पार्क स्थित प्लाट नम्बर D-254 और D-255 के फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके कब्जा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दयानंद शर्मा पुत्र हरीदास शर्मा निवासी रामेश्वर पार्क थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 68 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी। थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग का खुलासा, घटना से सम्बन्धित 1.25 करोड़ रुपये फ्रीज।

श्री रत्नाकर मुगशुजी गेडाम निवासी वसुन्धरा, इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ उसके आधार कार्ड का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग व फ्रॉड के मुकदमों में एटीएम कार्ड का प्रयोग होना बताकर डिजिटल अरेस्ट कर कुल 2,21,03,000/- रूपये की साइबर ठगी की गई। उपरोक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। घटना में फ्रीज कराये गये रुपयों को NCRP पोर्टल की SOP के अनुसार रिफण्ड कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में 1.25 करोड़ रुपये फ्रीज कराते हुए इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त महताब पुत्र गुफरान निवासी गोपाल कालोनी, वार्ड नं0 - 22 काबड़ी रोड के पास, पानीपत थाना पुराना औद्योगिक पानीपत हरियाणा उम्र करीब 23 वर्ष को कच्चा फाटक के पास पुराना औद्योगिक क्षेत्र पानीपत थाना पुराना औद्योगिक पानीपत, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

श्री रत्नाकर मुगशुजी गेडाम के साथ मनीलान्ड्रिंग में उनके खाते का प्रयोग होने तथा ED एवं सुप्रीम कोर्ट से वारन्ट जारी होने का भय दिखाकर, उन्हें ED एवं सुप्रीम कोर्ट के फर्जी वारन्ट उनके व्हाट्सअप पर भेजकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 2.21 करोड़ रुपये जाँच के नाम पर अपने विभिन्न बैंक खातों में जमा करा लिये थे। पानीपत हरियाणा के मेहताब को उसके बैंक खाते में उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 6 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। जिसे अभियुक्त मेहताब ने चेक के माध्यम से अपने खाते से कैश निकाल लिये थे।

अभियुक्त मेहताब ने पूछताछ पर बताया कि साहिल शर्मा निवासी पानीपत हरियाणा ने गेमिंग में अकाउन्ट प्रयोग करने के नाम पर उससे उसके बैंक खाते की डिटेल ली थी तथा उसमें आये हुए पैसे निकाल कर अपना कमीशन काटकर उसे दिया था। अभियुक्त के पास से घटना से सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्य बरामद हुए हैं।

अभियुक्त साहिल शर्मा की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

महताब पुत्र गुफरान निवासी गोपाल कालोनी, वार्ड नं0 - 22 काबड़ी रोड के पास, पानीपत थाना पुराना औद्योगिक पानीपत हरियाणा उम्र करीब 23 वर्ष, शिक्षा – 5 वीं पास।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः-थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 18.08.2026 को गन्दे नाले की पुलिया से शहीदनगर की तरफ एक्सटेंशन-1, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद से अभियुक्त अनस पुत्र श्री इरफान निवासी गरिमा गार्डन, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेंडर प्लस बरामद हुई जो थाना दयालपुर, दिल्ली पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से संबंधित है । बरामदगी के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिल को उसने मई माह में नेहरू नगर, दिल्ली से चोरी किया था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह उक्त मोटरसाइकिल का प्रयोग आने-जाने वाले व्यक्तियों से मोबाइल फोन एवं रुपये छीनने के लिए करता था तथा छीने गए रुपये से नशा करता था। अभियुक्त द्वारा बताए गए तथ्यों के संबंध में अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनस पुत्र श्री इरफान निवासी गरिमा गार्डन, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 309/2026 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना शालीमार गार्डन, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 011458/2026 धारा 305(B) बीएनएस, थाना दयालपुर, दिल्ली।
   अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।